सप्तदश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-30.07.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सुधाकर सिंह, स०वि०स० श्री सिद्धार्थ सौरव, स०वि०स० श्री राजेश कुमार गुप्ता, स०वि०स०	''देश में राष्ट्रीय परमिटधारी माल परिवहन परिवहन गाड़ी निर्वाध रूप से आवागमन करती है लेकिन बिहार सरकार द्वारा 12 चक्के से ऊपर की बालू, गिट्टी लदी हुई गाड़ियों का बिहार की सीमा में प्रवेश कर किसी अन्य प्रदेश में बहिर्गमन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है । बिहार सरकार की नई परिवहन नीति के चलते बालू एवं गिट्टी लदी माल परिवहन गाड़ियों का आवागमन अभी बंद है । अत: 12 चक्के से ऊपर की बालू, गिट्टी लदी हुई गाड़ियों का सीमा में प्रवेश एवं बहिर्गमन की व्यवस्था पुन: संचालन करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	

2. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स०
श्री राम नारायण मंडल, स०वि०स०
श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स०
श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स०
श्री जनक सिंह, स०वि०स०

''बिहार में फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधानित बीजों को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से तैयार कर कृषि फार्म या चयनित कृषकों के माध्यम से उत्पादनोपरांत उसे सार्वजनिक उपयोग हेतु कृषकों को दिया जाता है । प्रमुख दलहन उत्पादक जिले पटना, लखीसराय एवं नालंदा में चना और मसूर के आधार बीज चयनित किसानों के माध्यम से तैयार किया जाता है । वर्ष 2019-2020 में कृषि विज्ञान केंद्र, हलसी, लखीसराय द्वारा इन क्षेत्रों के किसानों को चना के प्रभेद GCP-105 तथा मसूर प्रभेद HUL-57 उत्पादन के लिए उपलब्ध कराकर इन बीजों का क्रय किया गया । किसानों द्वारा प्रोत्साहन की राशि की मांग किये जाने पर कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का हवाला देते हुए 10 वर्षों से ज्यादा अवधि का प्रभेद होने के आधार पर कृषकों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गयी । जबकि इसी प्रभेद के बीज पर इससे पहले उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है ।

अत: इन जिलों के वर्णित किसानों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''

कृषि

भूदेव राय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/2021- 2371 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 जुलाई, 2021 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / परिवहन विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/7/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/2021- 2371 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 जुलाई, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

29/7/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।